बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

का0आ0सं0:– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115/2016 63 पटना/दिनांक 10/10/16

कार्यालय आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के विभिन्न कार्य अँचलों के अन्तर्गत कार्य प्रमंडलों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पथों का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल अन्तर्गत पथों के निर्माण एवं अनुरक्षण में कतिपय त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक रोड फर्निचर एवं रोड साईनेनेज का प्रावधान अति आवश्यक है।

उपर्युक्त कारणों से डी0पी0आर0 गठन, पथ निर्माण एवं उनके अनुरक्षण हेतु सामान्य दिषा निदेशों की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(A) **डी0पी0आर0 गठन**

डी0पी0आर0 में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से रोड फर्निचर एवं रोड साईनेज का समुचित एवं अत्याधुनिक प्रावधान नहीं किया जा रहा है। पथ के सभी साईनेज, रोड सेफ्टि के engineering measures के अनुरूप यथा टर्निंग बोर्ड, प्लेस इन्डिकेशन बोर्ड, स्कूल इन्डिकेशन बोर्ड इत्यादि रेट्रो–रिफ्लेक्टिव होने चाहिए तथा रोड मार्किंग भी थर्मो प्लास्टिक रेट्रो–रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। यह भी देखा जा रहा है कि रोड साईनेज में प्रत्येक प्रमंडलों में सिम्बॉल्स तथा रंगों का अलग–अलग प्रयोग किया जा रहा है जिससे एकरूपता नहीं रह पा रही है। विभिन्न रंगों को मानक के अनुरूप बनाने के लिए मार्गदर्शिका का उपयोग किया जाय।

यह आवष्यक है कि सभी रोड फर्निचर, साईनेनेज विशिष्टि के अनुरूप प्रावधानित किए जाए। पुल–पुलियों का पेंटिंग एवं नम्बरिंग भी आवष्यक है।

(B) **Sub-Grade का निर्माण :–**

मिट्टी कार्य में प्रायः देखा जा रहा है कि सड़क के किनारे मिट्टी का ढ़ेर लगाकर बीच में roller का उपयोग किया जा रहा है जिससे पथ के बीचे के हिस्से में तो compaction हो जाता है किन्तु किनारे की मिट्टी uncompacted रह जाती है। पथ के Shoulder portion में मिट्टी का सतह ऊँचा रह जाने से पूरा पथ एक नहर का रुप ले लेती है। गुणवत्तापूर्ण पथ निर्माण हेतु पथों में नहरनुमा मिट्टी के ढ़ेर को पूरी चौड़ाई में फैलाकर पथ बाँध बनाया जाए एवं compaction करते हुए मिट्टी के पथ में ही camber, super elevation तथा widening at curves का प्रावधान किया जाय।

मिट्टी कार्य में इसी प्रक्रिया को निर्माणाधीन सभी पथों में अपनाई जाए जिससे फ्लैंक में भी उचित संपीडन हो तथा प्रारंभ से ही camber एवं Super elevation बन पाए।

(C) **GSB पथ परत का निर्माण की प्रक्रिया :–**

जी0एस0बी0 के निर्माण में कई स्थानों पर बालू की मात्रा मानक से अधिक एवं स्टोन चिप्स कम मात्रा में पायी जा रही है जिसपर नियंत्रण की आवश्यकता है। जी0एस0बी0 परत को मानक के अनुरूप ग्रेडिंग करने पर विषेष ध्यान रखा जाए।

(D) **WBM पथ परत का निर्माण की प्रक्रिया :–**

WBM के निर्माण में कई स्थलों पर मेटल ओवर साईज तथा स्क्रीनिंग मेटेरियल की मात्रा मानक से अधिक पायी जा रही है जिसकों नियंत्रित कर मानक के अनुरूप ग्रेडिंग करने की आवश्यकता है। WBM Gr-II में 45 मि0मी0 सिव साईज पर 0 से 15 प्रतिशत ही पासिंग अनुमान्य है जो कि स्थल पर इस सीमा से अधिक पासिंग भी पायी जा रही है। 45 मि0मी0 का बड़ा चलना का उपयोग कर इस त्रुटि को नियंत्रित किया जा सकता है।

(E) **PCC पथ निर्माण की प्रक्रिया :–**

प्रायः देखा जा रहा है कि पी0सी0सी0 पथ निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन प्रमंडलों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के पथ निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

(i)पी0सी0सी0 में प्रायः एम0–30 ग्रेड का कंक्रिट मिक्स बनाया जाता है जो कि कन्ट्रोल्ड कंक्रिट की श्रेणी में आता है। इसके लिए डिजाईन ऑफ मिक्स कंक्रिट आवश्यक है। अतः पी0सी0सी0 का मिक्स डिजाईन करा लिया जाए और पथ में इसी मिक्स डिजाईन के अनुसार कार्य कराया जाए।

(ii) कॉन्ट्रैक्षन ज्वाईंट के निर्माण में प्लाई वुड/थर्मोकॉल का उपयोग नहीं किया जाए। बल्कि इसके निर्माण हेतु 5 मि0मी0 मोटाई का कटिंग ब्लेड का उपयोग करते हुए एक तिहाई गहराई में कटिंग किया जाए। अभी किसी भी पथ में कॉन्ट्रैक्शन ज्वाईंट का निर्माण सही ढ़ंग से नहीं पाया गया है। प्राक्कलन के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन ज्वाईंट में डिसबॉडिंग स्ट्रीप का प्रयोग अवष्य किया जाए।

(iii) पी0सी0सी0 ढ़लाई के पूर्व Prepared surface पर प्लास्टिक षिटिंग बिछाया जाए।

(iv) प्लेट वाईब्रेटर तथा निडिल वाईब्रेटर के अतिरिक्त स्क्रीड वाईब्रेटर का प्रयोग पी0सी0सी0 पेभमेंट निर्माण में अनिवार्य रूप से किया जाए।

(v) प्रोपर कन्स्ट्रक्शन ज्वाईंट बनाया जाए।

(vi) पी0सी0सी0 पेवमेंट में क्यूरिंग अवष्य किया जाए एवं दोनो किनारे फ्लैंक में मिट्टी का प्रावधान जरूर किया जाए।

(F) **अन्य निर्देश** :–

(i)Information Board का पाईप 3 ईंच का होना चाहिए।

(ii) Road Marking की फिनिष्ड मुटाई 2.5 mm होना चाहिए। भुगतान के पूर्व suitable instrument यथा slide caliper/screw gauge से इसकी मापी कर लें।

(iii) पथ के अनुरक्षण में मषीन से बुष कटिंग समय–समय पर होना चाहिए जिससे पथ का फ्लैंक साफ–साफ दृष्टिगोचर हो।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविधं(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता–1, 2, 3 एवं 4 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग एवं अग्रिम योजना अँचल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18 प्रतिलिपि–

विभागीय सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु समर्पित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) विविध(कार्य)–23–115 / 2016 4658 पटना / दिनांक 10/10/18

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(सुभाष चन्द्र)
अभियंता प्रमुख